न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज

स्वत्व वाद संख्या–120/2018

CIS NO-516/2018

साजिद करीम एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

महीउद्दीन रूमी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

08.01.2021 वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 16.03.2020 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है, जिस संबंध में प्रतिवादी संख्या–1,2,3 व 5 की ओर से 14.12.2020 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि वादपत्र के मद नं0–2,3 व 4 में एराजीयत की चौहदी दर्ज करना छूट गया है, जिस कारण एराजीयत की चौहदी दर्ज करना आवश्यक है। वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है तथा वादपद का भी अभी तक गठन नहीं हुआ है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आयेगा। अतः आवेदन में वर्णित तथ्यों को वादपत्र में जोड़ने की अनुमति दी जाय। वादी का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है।

इस संबंध में प्रतिवादी संख्या–1,2,3 व 5 का कहना है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में अपना बयान तहरीरी दाखिल किया जा चुका है तथा इसके पूर्व भी वादीगण दिनांक 20.07.2019 के माध्यम से संशोधन आवेदन दे चुके हैं। वादीगण बार–बार आवेदन देकर वाद को लंबित रखना चाहते हैं। अतः वादीगण का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है तथा वादपद का भी गठन अभी नहीं हुआ है। वादीगण द्वारा दाखिल प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है तथा इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव होता प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन न्याय हित में स्वीकृत करते हुए वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार संशोधन करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई दिनांक 06.02.2021

अवर न्यायाधीश(प्रथम)